

प्रेस नोट 16.05.19

1. दिनांक 15.05.19 को वादी उ०नि० श्री अमित कुमार थाना को०नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. अनीस कुमार पुत्र छेदीलाल निवासी कन्दैला खडकपुर सरियावा चौराहा थाना पूराकलन्दर, अयोध्या
2. लाल बाबू पुत्र स्व० छेदराम निवासी खेमपुर गोसाईगंज थाना भीटी जनपद अम्बेडकरनगर **वर्तमान पता**—
लोको कालोनी मकान नं० बी 2 सी थाना को०नगर, अयोध्या अभि०गण के कब्जे से मु०अ०सं० 331/19 व 383/19 धारा 379 भादवि थाना को०नगर में चोरी गयी 02 अदद मोटर साइकिल व चोरी की अन्य 04 अदद मोटर साइकिलें बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 384/19 धारा 41/411, 414 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 15.05.19 को वादी उ०नि० श्री बृजेश कुमार यादव थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम कुमार शुक्ला पुत्र स्व० सीताराम शुक्ला निवासी कूढ़ा केशवपुर दर्शननगर थाना को०अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 8 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 287/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 15.05.19 को वादी उ०नि० श्री प्रदीप कुमार सिंह थाना को०रुदौली, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 03 मोटर साइकिलों पर सवार 6 अज्ञात व्यक्ति 03 मोटर साइकिलों पर सवार 06 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोवंशीय पशुओं का वध करके गोमांश लादकर ले जाना, पकड़े जाने के डर से मौके पर 170 किलोग्राम गोमांश, 8 अदद खुर, तथा 02 अदद मोटर साइकिले (पल्सर व बजाज एक्ससीडी) छोड़कर भाग जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 168/19 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 15.05.19 को वादी श्री राधेश्याम पुत्र ननकऊ निवासी राम महर पकरैला थाना गोसाईगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम भवन पुत्र मंगरू निवासी राम महर पकरैला थाना गोसाईगंज, अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा वादी की पाइप उखाड़कर नुकसान करना मना करने पर गाली व जान माल की धमकी देते हुए हमलावर होना। जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 150/19 धारा 352, 427, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 15.05.19 को वादी श्री राम सुन्दर पुत्र भगवान दास निवासी गण्डई थाना को०बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम तीरथ पुत्र भगवान दास निवासी गण्डई थाना को०बीकापुर, अयोध्या आदि 06 नफर अभि०गण द्वारा छल पूर्वक राम सूरत की जमीन को फर्जी तरीके से बैनामा करा लेना तथा उसकी हत्या कर शव को गायब कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 298/19 धारा 419, 420, 467, 468, 302, 201, 34 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

